

493563/A

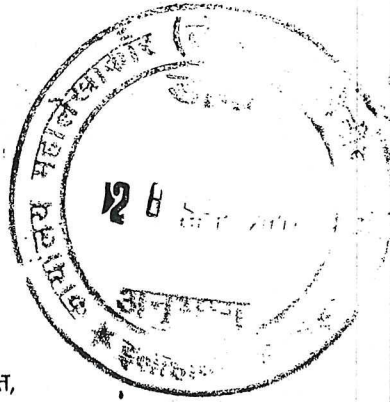
संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04 (एम)/ 2017

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।



वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2017

विषय:-दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के फलस्वरूप अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

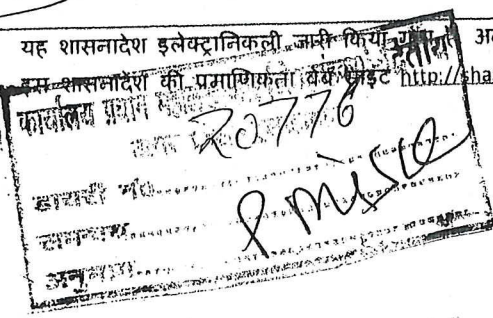
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक निर्गत संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के उपप्रस्तर- 17(1) एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 (1) में यह व्यवस्था की गयी थी कि- दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं मेंहगाई भत्ता के देय अवशेष का भुगतान दो समान किश्तों में किया जायेगा, जिसके 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक के देय अवशेष के 50 प्रतिशत अंश जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह अक्टूबर में किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, का भुगतान माह दिसम्बर 2017 के उपरान्त किया जायेगा।

फाइल
3/11/17

SSA-DR-1-138

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्तक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



07

3. उपर्युक्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश संख्या-67/ 2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886 (1)/दस-2017, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट- । एवं ।।, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी 2017 के क्रम में उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अर्जुन सिंह
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या 11/2017-वे0आ0-2-563/दस-2017-04 (एम)/
2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 का संलग्नक

क्रम सं०	शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू० 8700 के लिये निर्धारित मैट्रिक्स लेवल-13	ग्रेड वेतन रू० 8700 के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल-13
(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

